झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 1 / पी०एम०सी० / कार्य / 908 / 2015. 48/18-195 / राँची, दिनांक 04.01.2019

प्रेषक,

रमेश कुमार दूबे,
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार**

विषय :– **गढ़वा जिले में पाईपलाईन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों / जल निकायों में आवश्यकतानुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराये जाने के कार्य हेतु रू० 1169.28 करोड़ (रूपये एक हजार एक सौ उनहत्तर करोड़ अठ्ठाइस लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश स्वीकृत

2. गढ़वा जिले में पाईपलाईन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों / जल निकायों में आवश्यकतानुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराये जाने के कार्य हेतु रू० 1169.28 करोड़ (रूपये एक हजार एक सौ उनहत्तर करोड़ अठ्ठाइस लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त प्रस्तावित योजना हेतु पत्रांक–49 दिनांक–30.10.2017 द्वारा रू० 1064.00 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, परन्तु लेवर सेस (1%), GST (12%), अस्थायी भू–अर्जन इत्यादि मद का प्रावधान पूर्व के प्राक्कलित राशि में नहीं रहने के कारण योजना लागत में रू० 105.28 करोड़ की वृद्धि होने के फलस्वरूप अब योजना लागत राशि बढ़कर रू० 1169.28 करोड़ हो गई है, फलतः पूर्व प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति को निरस्त करते हुए उपर्युक्त रू० 1169.28 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4. इस योजना के अन्तर्गत गढ़वा जिले में सोन नदी एवं कनहर नदी के तीन अलग–अलग Pipeline से जल लाने का प्रावधान है जो निम्नवत् है :–

Pipeline-I – सोन नदी से भवनाथपुर प्रखण्ड के दारीडीह ग्राम में लिफ्टिंग

Pipeline-II – कनहर नदी से रंका प्रखण्ड के भुनरी ग्राम में लिफ्टिंग

Pipeline-III – कनहर नदी से भंडरिया प्रखण्ड के उरगा ग्राम में लिफ्टिंग

5. इन तीन प्रस्तावित पाईपलाइन योजना से संबंधित विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :–

क्र०सं०	पाईपलाइन	लिफ्टिंग पॉइंट	ग्राम	लिफ्ट किये जाने वाले पानी की मात्रा (MCM)
1	2	3	4	5
1.	पाईपलाइन–I	Lat.- 20^{0}30' 3.26" Long.- 83^{0}44' 36.56"	दरीडीह (भवनाथपुर)	37.57
2.	पाईपलाइन–II	Lat.- 23^{0}49 34.32" Long.- 83^{0}41' 46.56"	भुनरी प्रखंड–रंका	27.55
3.	पाईपलाइन–III	Lat.- 23^{0}37' 31.23" Long.- 83^{0}45' 55.44"	उरगा प्रखंड–भंडरिया	8.69

6. इन पाईपलाईन से जिन जलाशयो को भरा जायगा उनकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र०सं०	पाईपलाइन		जलाशयो का नाम	लाभान्वित प्रखण्ड
1.	पाईपलाइन–I	1	सरसतिया,	गढ़वा, नगर उटारी, मंझियांव, भवनाथपुर कांडी, केतर, खरौंदी, रमना, सगमा एवं विशुनपुर
		2	कवलदाग,	
		3	बभनीखांड,	
		4	उत्तमाही,	
		5	पंडरवा जलाशय एवं	
		6	पाईपलाईन के मार्ग में पड़ने वाले अन्य छोटे–बडे जल निकाय	
2.	पाईपलाइन–II	1	दानरो,	धुरकी, रमकन्डा, रमना, चिनिया एवं डंडई
		2	बाँयी बाँकी,	
		3	अन्नराज जलाशय एवं	
		4	पाईपलाईन के मार्ग में पड़ने वाले अन्य छोटे–बडे जल निकाय	
3.	पाईपलाइन–III	1	पाईपलाईन के मार्ग में पड़ने वाले छोटे–बडे जल निकाय	भंडरिया

7. इस कार्य का व्यय मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय, उपशीर्ष–64 छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45 निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रावधानित बजटीय उपबंध से भारित होगा।

8. तीनों पाईपलाईन हेतु लगभग 20.16 MW बिजली की आवश्यकता होगी। इस हेतु अलग से विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु उर्जा विभाग द्वारा रू० 97.973 करोड़ की अतिरिक्त राशि का आकलन किया गया है। उक्त कार्य का कार्यान्वयन उर्जा विभाग के निर्देशन में/द्वारा सम्पन्न कराया जाएगा।

9. पाईपलाइन बिछाने में 900mm व्यास तक Ductile Iron Pipe तथा उसके ऊपर 2000 mm व्यास तक M.S. Pipe का उपयोग किया जाएगा। विस्तृत रूपांकण के समय आवश्यकतानुसार कम व्यास के GI/DI/HDPE पाईप का भी उपयोग किया जा सकता है।

10. पाईपलाइन बिछाने में भूमि अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होगी। 2मी० गहराई तक भूमिगत पाईपलाइन बिछाने हेतु संवेदक के माध्यम से मुआवजा का भुगतान कर अस्थायी भूमि अधिग्रहण किया जाएगा जिसके पश्चात् उक्त भूमि का उपयोग पुनः कृषि कार्य में किया जा सकेगा।

11. पम्प हाउस, पावर सब स्टेशन, भैट, सम्प इत्यादि निर्माण के लिए यथासाध्य सरकारी भूमि का उपयोग किया जायेगा एवं अनुपलब्धता की स्थिति में परियोजना के संवेदक द्वारा वांछित भूखण्ड क्रय कर क्रमेण सरकार को हस्तान्तरित किया जाएगा। पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने का दायित्व भी परियोजना के संवेदक की होगी।

12. परियोजनान्तर्गत पाईपलाईन जिस रास्ते से गुजरेंगें उसके दोनों तरफ लगभग 3 कि०मी० के दायरे में आने–वाले अधिकांश जलाशयों को आवश्यकतानुसार भरा जा सकेगा।

13. पेयजल एवं सिंचाई जल की आवश्यकता को कनहर एवं सोन नदी से निम्न रूप से लिया जायेगा :–

Purpose	Drawal from Kanhar River (MCM)	Drawal from Sone River (MCM)	Total MCM
Drinking Water	3.62	9.27	12.89
Irrigation	32.62	28.30	60.92
Total	36.24	31.57	73.81

14. **जल की उपलब्धता** : बाणसागर नदी जल समझौता (1973) के अन्तर्गत संयुक्त बिहार के लिए 9559.49 MCM (7.75 MAF) जल कर्णांकित किया गया था। इसके तहत 1982 में तीन राज्यों के बीच कनहर नदी के जल के बँटवारे के लिए समझौता हुआ जिसमें बाराडीह (वर्त्तमान में गढ़वा जिला) पर कनहर बाँध के लिए 530.40 MCM (0.43 MAF) जल कर्णांकित किया गया। वर्त्तमान में कनहर बराज का निर्माण प्रस्तावित है जिसके लिए 320 MCM (0.26 MAF) जल की आवश्यकता होगी। आवश्यक e-flow को लेखा में लेने के बाद 36.24 MCM जल कनहर बराज के downstream में उपलब्ध होगा जिसे इस योजना के लिए उपयोग में लाया जायेगा। शेष 31.57 MCM जल सोन नदी में उपलब्ध (9559.49 - 530.40 = 9029.09 MCM) जल में से झारखण्ड के हिस्से के अन्तर्गत होगा।

15. योजना के कार्यान्वयन से गढ़वा जिले के रंका, धुरकी, रामकंडा, रमना, चिकिया, डंडई, भंडरिया, गढ़वा, नगरउटारी, मेराल, मझियांव, भवनाथपुर कांडी, केतर, खरौंधी, संगमा, एवं विशुनपुरा प्रखण्डों की आबादी को सिंचाई एवं पेय जल सुविधा उपलब्ध होगी। योजना से गढ़वा जिले के अधिकांश क्षेत्र को लाभ होगा।

16. योजना के प्रत्येक अवयव के संरचना का विस्तृत रूपांकण नहीं किया गया है। यह योजना के कार्यान्वयन के समय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। योजना का कार्यान्वयन EPC (Engineering, Procurement, and construction) निविदा आमंत्रित कर Design, Build, Operate and Transfer (DBOT) के आधार पर कराया जायेगा। इसके अन्तर्गत पूरी योजना का design, procurement, construction तथा commissioning तक का संपूर्ण दायित्व संवेदक के जिम्मे रहेगा। इसमें 05 (पाँच) वर्षों के लिये Operation & Maintenance भी संवेदक के द्वारा ही किया जाना प्रस्तावित है।

17. उपरोक्त कार्य हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर होंगे।

18. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति द्वारा निम्नांकित शर्त्त के साथ स्वीकृति दी गयी है:– "परियोजना हेतु आवश्यक वन एवं पर्यावरण से संबंधित स्वीकृतियाँ तथा झारखण्ड जल, गैस और ड्रेनेज पाईपलाईन (भूमि में उपयोगकर्त्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 2018 में प्रावधानों के आलोक में ससमय कार्रवाई कर ली जायेगी।"

19. प्रस्तावित कार्यों के कार्यान्वयन हेतु सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुए विभागीय एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

20. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

21. प्रस्तावित कार्य के लिए वर्ष 2018–19 के बजट में उपबंध है।

22. कार्य के लिए राशि की निकासी, गढ़वा कोषागार, गढ़वा से की जायेगी।

23. प्रस्तावित कार्यों पर व्यय किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

24. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक–17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

25. झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

26. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

27. राज्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

28. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०–हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

D:\D\Node 3\SE-3\Sanlekh_1169.28.doc

पत्रांक :— 1/पी०एम०सी०/कार्य/908/2015 48/18-19 प्र०स्वी० /राँची, दिनांक 04.01.2019

प्रतिलिपि :— आंतरिक वित्तीय सलाहाकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना सह वित्त विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:— यथोक्त।

4/01/19
(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

पत्रांक :— 1/पी०एम०सी०/कार्य/908/2015 48/18-19 प्र०स्वी० /राँची, दिनांक 04.01.2019

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा कोषागार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/01/19
(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

पत्रांक :— 1/पी०एम०सी०/कार्य/908/2015 48/18-19 प्र०स्वी० /राँची, दिनांक 04.01.2019

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोटिरिंग अंचल–1 एवं 2, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/ अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गढ़वा/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल–3, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/01/19
(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

पत्रांक :— 1/पी०एम०सी०/कार्य/908/2015 48/18-19 प्र०स्वी० /राँची, दिनांक 04.01.2019

प्रतिलिपि :— उपायुक्त, गढ़वा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिला अन्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

4/01/19
(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

पत्रांक :— 1/पी०एम०सी०/कार्य/908/2015 48/18-19 प्र०स्वी० /राँची, दिनांक 04.01.2019

प्रतिलिपि :— माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव/माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

4/01/19
(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव